छत्तीसगढ़ राज्य के खेतिहर मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन (धमतरी जिले के विशेष संदर्भ मे)

डॉ. सुनीता अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र,
संत गुरू घासीदास शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद,जिला– धमतरी (छ.ग.)
Email: agrawal.sunita28@gmail.com

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और यह जिस आधार पर खड़ी है, वह है भारतीय ग्रामीण कृषक समाज। भारत की 72 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जो अपने भोजन आदि की आवश्यकता की पूर्ति खेतों से करती है। अन्य लोग कृषेत्तर कार्य करके अपना जीवन यापन करते है उनके भोजन की आपूर्ति भी इन्ही कृषकों के द्वारा की जाती है।

सम्पूण देश में इन कृषक मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनका जीवन स्तर सुधारने हेतु कई कृषक मजदूरोपयोगी योजनाएँ चलाई हैं, ताकि इनका जीवन स्तर सुधर सके। पर आज भी इनकी स्थिति में कोई विशेष फर्क नही पड़ा है। प्रस्तुत शोध के माध्यम से वर्तमान में खेतिहर मजदूरों की वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द: *खेतिहर मजदूर, सामाजिक आर्थिक, स्थिति।*

प्रस्तावना

आरम्भिक काल में मनुष्य खानाबदोश जीवन जीता था। मानव जीवन में स्थायित्व तब आया जब मनुष्य एक स्थान में रहकर जीवन बिताने लगा। वह खाद्य पदार्थों की खोज में यहाँ–वहाँ भटकना नही चाहता था। मनुष्यों में उस स्थान में जहा पर्याप्त मात्रा में पानी तथा प्राकृतिक वातावरण उत्पादन के अनूकूल था वहीं उसने खेतिहर सामाज का विकास किया।

खेतिहर समाज या खेतिहर मजदूर से आशय ऐसे समाज से है जिसके सदस्यों की जीविका का साधन कृषि या खेती है। खेतिहर मजदूर जीविकोपार्जन के लिए प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक स्थिति निम्न होती है जो स्वयं के उपभोग के लिए और भरण पोषण के लिए कृषि–मजदूरी करते हैं खेतिहर मजदूरों से तात्पर्य ऐसे मजदूर से है जिनका कार्यक्षेत्र खेतों में मजदूरी करना है। इनके पास अल्पमात्रा में कृषि योग्य भूमि होती

है ये कषषि मजदूरी करके अपना जीवन–यापन करते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज मे इन ग्रामीण कषषि कार्य में संलग्न लोगों के प्रायः तीन वर्ग कहे जा सकते है प्रथम वह जिनके पास जमीन होती है तथा जो स्वय अपने हाथ सें खेती नही करते। दूसरा वह जो पूर्ण रूप से मजदूरी पर निर्भर हैं जिसके पास अपनी कोई जमीन नही हैं, तीसरा वर्ग वह है जिसके पास कुछ बीघे अथवा बहुत थोड़ी जमीन होती है जो स्वयं की खेती करते है तथा आजीविका के लिए दूसरे के खेतों में भी काम करते है जिसे हम कृषक मजदूर कह सकते है। इन तीनों वर्गों के अतिरिक्त एक चौथा वर्ग वह भी है जो ग्रामीण कृषकों के लिए कृषि उपयोगी औजारों तथा जीविकोपार्जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जैसे लोहार, बढई आदि। यह वर्ग अप्रत्यक्ष रूप से कृषक वर्ग ही है जो कृषि सामग्रियों की आपूर्ति किसानों को करता था तथा बदले में किसान उन्हें अपनी कृषि उपज का एक हिस्सा देते है। ग्रामीण व्यवस्था में खेतिहर मजदूरों की स्थिति सबसे निम्न होती है। प्रत्येक गांव में इस वर्ग के लोगों की जनसंख्या बहुतायत होती है इनके पास श्रम के अतिरिक्त कोई अन्य पूॅजी नही होती। कृषि का मुख्य कार्य इसी वर्ग के द्वारा संपादित किया जाता है। लेकिन आज भी हम भारतीय किसान की स्थिति पर नजर डालें तो उनकी स्थिति बहुत बेहतर नही है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी भी हमारी आर्थिक नीतियाँ किसानों को केन्द्र में रखकर नहीं बनाई जाती तथा कषषि पैदावार को बढ़ाने पर ज्यादा जोर नहीं देती हैं।

शोध समस्या का चयन (SELECTION OF RESEARCH PROBLEM)

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश जनसंख्या कष्षक मजदूरी से जीविकोपार्जन करती है। खेतिहर मजदूरों के पास कषषि भूमि बहुत कम होती है या वे भूमिहीन होते है इसलिए श्रम ही उनकी वास्वविक पूंजी होती है। वे कृषि कार्य के अतिरिक्त कौन से कार्य में संलग्न होते है उनकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक प्रस्थिति किस प्रकार की है सरकार से उनकी अपेक्षाए क्या है इन्ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को ज्ञात करने ही छत्तीसगढ़ राज्य के खेतिहर मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन (धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में) नामक शोध समस्या का चयन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य (OBJECTS OF STUDY)

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रो मे कार्यरत् खेतिहर मजदूरों की सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना ही इस अध्ययन का उद्देश्य है।

अध्ययन का महत्व (IMPORTANCE OF STUDY)

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में प्रमुख रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है और ये समस्त वर्ग के लोग कृषि कार्य में संलग्न होते है। यह वर्ग कृषक मजदूरी के अतिरिक्त अन्य मजदूरी कार्यो में भी लगा रहता है वे जीविकोपार्जन के लिए लगातार जूझ रहा होता है ऐसी स्थिति में सरकारी प्रयास क्या हो रहें है व सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इस महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित यह अध्ययन खेतिहर मजदूरो की स्थिति को जानने व उनके लिए क्या प्रयास किये जाने चाहिए इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

निदर्शन प्रक्रिया (SAMPLING PROCESS)

अध्ययन के समग्र के रूप में धमतरी जिले के कुरूद विकासखण्ड के 24 ग्रामों का चयन दैव निदर्शन के आधार पर किया गया । जिससे पास व दूर सभी प्रकार के गांवों का चयन हो सका। इन चयनित कुल गांवो में से प्रत्येक गांवो से 5–5 खेतिहर मजदूरों का चयन किया गया। जिनसे विषय के विभिन्न पक्षों से संबद्ध तथ्य संकलित किये गए। जिन घरों या खेतो में कषक मजदूर महिला या पुरूष मिले उन्ही से तथ्यों का संकलन किया गया। वही मजदूर हमारे अध्ययन हेतु निदर्शन की इकाई है।

तथ्य संकलन के स्त्रोत (SOURCES OF DATA COLLECTION)

इस अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार निर्देशिका, अवलोकन के माध्यम से किया गया है तथा द्वितीयक तथ्यों का संकलन विभिन्न पुस्तकों, संदर्भित पुस्तकों, शोध ा–पत्रो, विभिन्न शासकीय व अशासकीय कार्यालयों के प्रतिवेदनों के माध्यम से किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्ष (FINDING THE OF STUDY)

(1) खेतिहर मजदूरों के पास स्वयं के खेती योग्य जमीनों की जानकारी के संबंध में प्राप्त आकड़ों के अनुसार निम्नतम 1/2 एकड़ जमीन से लेकर 3 एकड़ जमीन मजदूरों के पास है। अपने स्वयं के भूमि में उत्पादन करने के साथ ये दूसरों की जमीनों पर उत्पादन कार्य कर मजदूरी प्राप्त करते है या अधिया (उत्पादन का आधा/आधा हिस्सा) या रेघहा (प्रति एकड़ किराए पर मूल्य देकर) लेकर दूसरों की जमीन पर उत्पादन कार्य करते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकांश खेतिहर मजदूर मुख्यतः खेती कार्य करके ही अपने परिवार के पालन पोषण में योगदान देते है। इसके अतिरिक्त अपने ग्राम में ही अन्य प्रकार की मजदूरी कार्य जैसे सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, नाली निर्माण आदि सरकारी कार्यो में भी संलग्न होते हैं।

(2) खेतिहर मजदूरो की आयु संरचना के संबंध में प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश खेतिहर मजदूर 35–50 वर्ष के उम्र के है। केवल 2.5 प्रतिशत खेतिहर मजदूर 20 से 25 वर्ष की आयु समूह से है।

(3) अध्ययन किए गए खेतिहर मजदूरों में से 19 महिला है और 101 पुरूष खेतिहर मजदूर है अर्थात् महिलाए घरेलु कार्य के अतिरिक्त समय मे ही खेतिहर मजदूरी संबंधी कार्य करती है और पुरूषो का मुख्य कार्य खेती ही है।

(4) **उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर** – वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रो में भी शैक्षणिक केन्द्र खुल जाने से शिक्षा स्तर में क्रमशः वृद्वि हो रही हैं। अध्ययनरत खेतिहर मजदूर उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर की स्थिति कों तालिका क्रमांक – 1 में प्रस्तुत किया गया है –

तलिका क्रमांक – 1

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

शिक्षा का स्तर	आवषति	प्रतिशत
निरक्षर	5	4.1%
प्राथमिक	42	35%
माध्यमिक	31	25.8%
हायर सेकेण्डरी / हाईस्कूल	34	28.3%
स्नातक	04	3.4%
स्नातकोत्तर	04	3.4%
योग	120	100%

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि अध्ययनरत् उत्तरदाता मे से 35 प्रतिशत ने प्राथमिक स्तर तक, 25.8 प्रतिशत ने माध्यमिक, 28.3 प्रतिशत ने हाईस्कूल तक , स्नातक व स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत केवल 3.4 है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा में वृद्वि हेतु किए गए प्रयास के बावजूद 4.1 प्रतिशत आज भी निरक्षर है। अतः उच्च शिक्षित खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत ही कम है ।

(5) **मजदूरी के संबंध में –** खेतिहर मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हे खेती की मजदूरी के रूप में 200 से 250 रू. ही मिलता है। खेतिहर मजदूर 4 माह ही खेती का कार्य करते है । खेती से प्राप्त फसल अपने भोजन की आवश्यकता के लिए तथा अतिरिक्त अनाज को बेचकर अपनी जीविकोपार्जन के अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। खेती कार्य समाप्ति या शेष बचे समय में सालभर अन्य प्रकार की मजदूरी कार्य में लगे रहतें है जैसे– सड़क निर्माण , तालाब निर्माण तथा रोजगार गांरटी योजना द्वारा मिलने वाले कार्यो से भी अपनी जीविकापार्जन हेतु मजदूरी प्राप्त करता हैं।

(6) छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो की संख्या बहुतायत से है। अतः अध्ययनरत् उत्तरदाता खेतिहर मजदूर मे 79.16 प्रतिशत इस समूह से ही है, 9.17 प्रतिशत अनूसूचित जाति के है एवं 11.67 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के है । एक भी उत्तरदाता सामान्य वर्ग से नही है जो मजदूरी का कार्य करता हो।

(7) **उत्तरदाताओं की मासिक आय** छत्तीसगढ राज्य में ग्रामीण क्षेत्रो में पहले वस्तुओं के रूप में मजदूरी देने की प्रथा थी किंतु वर्तमान में मुद्रा के रूप में समानुसार मजदूरी देने की प्रथा चल रही है जैसे दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी किंतु लोगो के घरों में स्थायी रूप से कार्य करने वाले मजदूरों को मासिक या वार्षिक मजदूरी देने की प्रथा भी प्रचलित है। वार्षिक मजदूरी में पैदावार का कुछ हिस्सा अनाज के रूप में देने की प्रथा रही है । कभी कभी श्रमिको को नगद और वस्तु दोनो मिलाकर मजदूरी दी जाती है। उत्तरदाताओं को माह भर में कषि श्रम या अन्य श्रम से प्राप्त मजदूरी को तालिका क्रमांक – 2 में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका क्रमांक 2

उत्तरदाताओं की मासिक आय

आय	आवषति	प्रतिशत
1000 – 2000	15	12.5%
2000 – 4000	37	30.8%
4000 – 6000	26	21.7%
6000 – 8000	17	14.17%
8000 – 10000	07	5.83%
10000 से अधिक	18	75%
योग	**120**	**100**

उपरोक्त तालिका क्रमांक क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि अधिकांश 30.8 प्रतिशत उत्तरदाता 2000 से 4000 तक मासिक आय के रूप में मजदूरी प्राप्त करते है 21.7 प्रतिशत 4000 से 6000, 14.17 प्रतिशत 6000 से 8000 तक ,तथा न्यूनतम 1000 से 2000 तक मासिक मजदूरी पाने वालो का प्रतिशत 12.5 है।

(8) उत्तरदाताओं की पारिवारिक संरचना के संबंध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 57.5 प्रतिशत परिवार एकाकी परिवार से एवं 42.5 प्रतिशत संयुक्त परिवार से है । अत :स्पष्ट है कि खेतिहर समाज में भी एकांकी परिवार की प्रकृति बढ रही है लेकिन परिवार के संरचनात्मक स्वरूप में बदलाव आया है किन्तु परिवार में आयोजित धार्मिक कर्मकाण्ड एवं उत्सवों के अवसर पर आज मजदूरों की प्रभु जातियो के साथ संबंधों के विषय में प्राप्त जानकरी के अनुसार ग्रामों में प्रभुत्व जातियॉ (जमींदार व साहूकार) है वे कष्षक मजदूरों के साथ सामान्यतः उचित व्यवहार करते है व अपने घरों में आयोजित उत्सवों में आमंत्रित भी करते है तथा अन्य लोगो के साथ ही बैठकर उन्हें भोजन भी करवाया जाता है ।

(9) कृषक मजदूरों की समस्या के संबंध में जानकारी एकत्रित करते समय उनसे उनकी समस्या के संबंध में समाधान हेतु सुझाव भी प्राप्त किए गए कृषक मजदूरो की राय है कि उन्हे उनके उत्पादित फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो, उर्वरकों व खाद की कीमत में कमी की जाये कृषि विभाग द्वारा खेतों की मिटटी की जाँच कर उन्हें दिशा निर्देशित भी किया जाए, नहर व बाँधों का निर्माण कर सिचाई साधन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। वृद्ध कृषक मजदूरों को नामांकित कर उन्हे भी पेंशन दिया जाना चाहिए।

(10) छत्तीसगढ़ के कृषकों से पलायन संबंधी प्राप्त जानकारी के अनुसार जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वे दो फसल लेते है ऐसी स्थिति में उन्हे पलायन की आवश्यकता नही होती लेकिन जो एक फसल लेते है वे मौसमी बेरोजगारी की स्थिति में तथा अन्य स्थानों में अधिक मजदूरी की लालसा, बच्चों में बेहतर शिक्षा दिलवाने हेतु आर्थिक क्षमता में वृद्वि हेतु पलायन कर दूसरे राज्यों में जाते है।

(11) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों हेतु विभिन्न योजनाए जैसे – राष्ट्रीय फसल बीमा योजना , एकीकृत आपदा बीमा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान काल सेंटर आदि चलाए जा रहे है किंतु कृषक मजदूर उत्तरदाताओ की सरकार से कुछ अपेक्षाएँ भी है – किसानों की कर्ज माफी जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन, न्यूनतम प्रशिक्षण द्वारा स्थानीय आबादी के व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध करवाए जाए, सरकार द्वारा समय समय में किसान सम्मान समारोह आयोजित किया जाना चाहिए, महिला पुरूष कृषकों को मजदूरो में समानता हो, रोजगार गांरटी योजना की अवधि तथा कार्य दिवस की अवधि में वृद्वि किया जाना चाहिए। कृषक मजदूरों हेतु स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाकर उनके उचित इलाज की व्यवस्था की जाए, खाद उर्वरक एवं सिचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध करवाए जाएँ, खाद व बीज की कीमत निर्धारित की जाए श्रमिक कार्ड के माध्यम से उन्हे कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाए।

उपसंहार

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट है कि छ.ग के खेतिहर मजदूरो की दशा बड़ी दयनीय है वे कृषि कार्य के समय तो कृषक मजदूरी नियमित रूप से करते है किंतु कृषि कार्य समाप्ति उपरांत उन्हें अन्य कृषेत्तर कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की मजदूरी कार्य न मिले तों वे बेकारी की स्थिति में भी होते है। वे यदि कार्य करना भी चाहते है तो उन्हे आजीविका हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नही होता।

संदर्भ ग्रंथ

1. देसाई .ए आर, भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र (अनु. हरिकृष्ण रावत) (2018) रावत पब्लिकेशन जयपुर
2. अग्रवाल अमित (2007) भारत में ग्रामीण समाज विवके प्रकाशन दिल्ली – पृ0 **25, 33, 183, 194**
3. देसाई ए.आर (अनु. कमल नयन चौबे) *भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पष्ठभूमि* , सेज पब्लिकेशन लंदन ।
4. वीरेन्द्र कुमार *कृषि संबंद्व : क्षेत्र किसानों की आय बढाने में मददगार* , कुरूक्षेत्र अप्रैल 2018, वर्ष 64, अंक 6, पृ0 **5–9**।
5. नरेष सिरोटी , किसानों की आय दो गुणी करने की दिशा में प्रयास , कुरूक्षेत्र फरवरी 2018, वर्ष 64, अंक 4 पृ0 **5,10** ।